न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान आनन्द कुमार बनाम छिनो देवी आदि

वाद संख्या 142 वर्ष 2024

निर्णय दिनांक :—...02/06/25

1. आनंद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति मेघवाल निवासी तारानगर जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. छिनो देवी पत्नी रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. सावीत्री पुत्री रेवन्तसिंह जाति मेघवाल निवासी कोहिणा तहसील तारागनर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

1. श्री लिलाधर प्रजापत एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री मोहित शर्मा वास्ते प्रतिवादी संख्या 01 व 02
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार तारानगर

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत इस दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. 158, ख.नं. 378 तादादी 3.3889 हेक्टेयर, ख.नं. 379 तादादी 0.1012 हेक्टेयर, ख.नं. 381 तादादी 0.2782 हैक्टेयर, ख.नं. 384 तादादी 1.6691 हैक्टेयर, ख.नं. 426 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, ख.नं. 427 तादादी 0.9484 हैक्टेयर कुल तादादी 6.4364 हैक्टेयर रोही कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। यही विवादित कृषिभूमि है। विवादित आराजी में वादी 6373/32182 हिस्से का सहखातेदार व सहकृषक है तथा शेष हिस्से के हकदार प्रतिवादी सं. 1 ता 2 है। वादी अपने 6373/32182 हिस्से की कृषिभूमि काश्त भी करता है, लेकिन खाता मुश्तरका (संयुक्त) होने से पक्षकारान के बीच भूमि काश्त के समय आसा पासा व किस्म को लेकर विवाद रहता है। जिससे वादी अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नहीं कर पाता है इसलिए वादी अपने हिस्से का खाता बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् अलग विभाजित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड अलग से कायम करवाना चाहता है जिसके लिए यह विभाजन का वाद पेश किया जा रहा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कई बार कहा तथा अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे वाद की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि में से वादी के हिस्सा का खाता अलग से विभाजित करवा कर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवा देवें तो वे दिनांक 24.09.2024 को बमुकाम कोहिणा तहसील तारानगर में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादी को विवादित कृषिभूमि में खातेदार होने से प्राप्त है। आदि आदि

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर कृषि भूमि खाता सं. 158, ख.नं. 378 तादादी 3.3889 हैक्टेयर, ख.नं. 379 तादादी 0.1012 हैक्टेयर, ख.नं. 381 तादादी 0.2782 हैक्टेयर, ख. नं. 384 तादादी 1.6691 हैक्टेयर, ख.नं. 426 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, ख.नं. 427 तादादी 0. 9484 हैक्टेयर कुल तादादी 6.4364 हैक्टेयर रोही कोहिणा तहसील तारानगर जिला चूरू में अपने 6373/32182 हिस्सा भूमि का खाता अलग से बाई मिट्स बाउन्डस से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

वाद प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजीनामा मय विभाजन प्रस्ताव पेश किया। राजीनामा दोनो पक्षो द्वारा सही होना स्वीकार किया गया जिस पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि प्रकरण में राजीनामा हो गया अतः तनकी कायम नहीं की गई।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा दावा अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा राजीनामा तथा इसके संलग्न विभाजन प्रस्ताव सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा व संलग्न विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारों ने अपने हक हिस्सा तक की कृषि भूमि का विभाजन किया। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार होने से वे विवादित कृषिभूमि का खाता विभाजन मुताबिक राजीनामा व आपसी सहमति से अलग–अलग कराने के अधिकारी है।

अतः वाद वादी बरूये राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषिभूमि रोही कोहिणा तहसील तारानगर खाता सं. 158, ख.नं. 378 तादादी 3.3889 हेक्टेयर, ख.नं. 379 तादादी 0.1012 हेक्टेयर, ख.नं. 381 तादादी 0.2782 हैक्टेयर, ख.नं. 384 तादादी 1.6691 हैक्टेयर, ख.नं. 426 तादादी 0.0506 हैक्टेयर, ख.नं. 427 तादादी 0.9484 हैक्टेयर कुल तादादी 6.4364 हैक्टेयर का खाता विभाजन राजीनामा के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक निम्न प्रकार किया जाता है कि:–

1. कृषि भूमि ख. न. 384 तादादी मी. 1.2746 हैक्टेयर जिसे नक्शा में बरंग हरा रंग दर्शाया गया है, वादी आनंद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति मेघवाल निवासी तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।
2. कृषि भूमि खं. नं. 379 तादादी 0.1012 हैक्टेयर सम्पूर्ण, ख. नं. 381 तादादी 0.2782 हैक्टेयर सम्पूर्ण, ख. नं. 426 तादादी 0.0506 हैक्टेयर सम्पूर्ण, ख. नं. 427 तादादी 0. 9484 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा खसरा संख्या 378 मी. तादादी 0.6400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 378 मी. तादादी 2.5232 हैक्टेयर व खसरा सं. 384 मी. तादादी 0.3945 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

जिसे नक्शा में बरंग पीला दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हक हिस्सा में उनके वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार रहेगी।

3. कृषि भूमि ख. नं. 378 मी. तादादी 0.2257 हैक्टेयर जिसे नक्शा में बरंग लाल से दर्शायी गयी है पक्षकारों के आवागमन हेतु रास्ता (चौड़ाई 30 फीट) रहेगा। इसे राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पक्षकारों द्वारा दिनांक 18.11.2024 को प्रस्तुत राजीनामा मय विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 02/06/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)